प्रेस विज्ञप्ति

07.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 200 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार अग्रवाल को 07/02/2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 13/02/2024 तक उनकी हिरासत दे दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों राजिंदर कुमार अग्रवाल, परवीन कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार और बलजिंदर कुमार अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंकों के संघ, जिसमें प्रधान बैंक के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक, जे एंड के बैंक, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक तथा अन्य बैंक थे, के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की बैंक ऋण की धोखाधड़ी की है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि अनिल कुमार अग्रवाल ने 2006 में इसके गठन के बाद से मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के मुख्य निदेशकों में से एक के रूप में अपने बूते फर्जी संस्थाओं और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से फर्जी चालान के आधार पर मशीनरी की अवैध बिक्री, असंबद्ध संस्थाओं को बही खाता से इतर स्क्रैप (मशीनरी) बेचकर और धारक कंपनी के बहीखाता में विविध देनदारों को समायोजित कर ऋण के कुछ हिस्से की हेराफेरी कर धन शोधन का अपराध किया है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने 31/01/2024 और 05/02/2024 को मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड, मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेडर्स और मैसर्स चौधरी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान/पूर्व निदेशकों से संबंधित कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैले कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 34 लाख रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा, लगभग 600 ग्राम सोना और संपत्ति के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, डिजिटल डिवाइस और डिजिटल साक्ष्य के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****